

# न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/43/2025

रजू दिनांक: 07.04.2025

रजि0 न0 2025/63

अपीलार्थी:-

श्रीमती अन्नो देवी पत्नि स्व0 श्री प्रेमचन्द,  
निवासी काली पहाड़ी, भडकोल, तहसील  
मालाखेड़ा-301406 जिला अलवर (राजस्थान)

प्रत्यर्थी:-

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला  
कलक्टर (द्वितीय), जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 12.05.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6(1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को ऑनलाईन RTI पोर्टल के माध्यम से आवेदन दिनांक 20.03.2025 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर बिन्दुवार सूचना चाही गई, जो उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रार्थनापत्र न्यायालय को पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 21.04.2025 को उपस्थित आवे।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2025/831 दिनांक 06.05.2025 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है, कि अपीलार्थी द्वारा पूर्व सूचना आवेदन दिनांक 20.03.2025 के परिपेक्ष्य में सूचना नहीं मिलने बाबत अभिकथन प्रस्तुत किया है। उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक 20.03.2025 के परिपेक्ष्य में इस लोक सूचना अधिकारी कार्यालय द्वारा अधिनियम 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में RTI Online Portal पर Outward No. 7532255148 Date 05-05-2025 के माध्यम से विनिश्चय कर अपीलार्थी/आवेदक को ऑनलाईन व डाक के माध्यम से बिन्दुवार सूचित किया जा चुका है। तथापि प्रथम अपील के अनुसरण में पूर्व प्रेषित सूचना/विनिश्चय पत्र की छायाप्रति अपीलार्थी को पुनः पंजीकृत-पत्र के माध्यम से भिजवाई जा रही है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबंध में RTI Online Portal के Outward No. 7532255148 Date 05-05-2025 के माध्यम से विनिश्चय किया जा चुका है तथापि प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम अपील के संबंध में जरिये प्रतिलिपि क्रमांक सम/832 दिनांक 06.05.2025 के द्वारा उक्त प्रकरण में अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में पुनः सूचना प्रेषित की जा चुकी है। अपील अपीलांत अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलांत अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। तथा प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है, कि सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।
7. निर्णय आज दिनांक 12.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।



(डॉ. आर्तिका शुक्ला)  
जिला कलक्टर अलवर  
अलवर (राज०)  
असिस्टेंट (राजस्थान)